



सेवा में

अध्यक्ष / प्रभारभाषक / प्रबंधक
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 0
बिहार कैड, 2 कम्प्यूटरी सेंटर 0

बिज्ञा शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | SAHARSA
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



विषय :- बच्चों की कुल एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की कुल एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के अधिनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रवीणता का प्रमाण पत्र।

माहसू.

आपके आवेदन पत्र दिनांक: 26-09-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पताचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलेख आपके विद्यालय Tagore Public School, WARD NO-08, SIMRI BAKHTIYAR PUR, SIMRI BAKHTIYAR PUR, 852127. कक्षा 1 से 8 तक संवाहन हेतु तीन वर्षों 26-09-2021 से 26-9-2024 अर्थात् के लिए औपचारिक प्रतीकित प्रदान की जाती है।

प्रदान प्रतीकित शिक्षा कक्षा के अनुपातन के अधीन होती।

1. प्रतीकित शिक्षा की नीतिविवेक में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होती।

2. विद्यालय बच्चों की कुल एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुसूचक-2) तथा बिहार राज्य कुल एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुसूचक-2) का अनुपातन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।

3. विद्यालय अपने कक्षा 1 से बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेंगे। पट्टे के कमजोर वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चों का कक्षा 8 तक उन्हें कुल एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेंगे, यद्यपि यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संवाहन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपातन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कक्षा 3 में उपर्युक्त बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की कुल एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलेख में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्रतिये के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संवाहन करेंगे।

5. सोसाइटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अधिभाषक का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दिया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च प्रमाण पत्र के अनुसूचक नामांकन की विस्तारित अर्थात् के बाद तथा पूर्व, पट्टी, जमा स्थान आदि कारणों का हस्तगत के किसी एक कारण के आधार पर रद्द नहीं कर सकते।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कर्तु सुनिश्चित किए जाएंगे :-

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय में निष्काशित किया जाएगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कार्यात्मक टेस्ट नहीं दिया जाएगा तथा नामांकित रूप से प्रमादित नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होती।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलेख में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलेख में शिक्षा/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्धारण करेंगे।

(viii) शिक्षक किसी तरह पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक का अनुसूचन करेंगे।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलेख में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेंगे।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 13 में उपर्युक्त मानकों एवं मानदंडों का सख्तर रखेंगे। विद्यालय के अतिरिक्त निम्न के समान उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्न

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 26 dec

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 26 dec

(iii) खेल के मैदान का क्षेत्र :- CLASS ROOM, LIBRARY, COMPUTER LAB, MUSIC CLASSES, DIGITAL CLASSES, SCIENCE LAB & PLAY GROUND

(iv) पूर्व कक्षा की कुल संख्या :- 30

(v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्षा :- 3

(vi) भारत तथा बाह्यदेशीय के किये अलग-अलग सौचास्य :- Both Indian and Western , Boys > 7 , Girls 6

(vii) वेपेसल की सुविधा :- 3

(viii) मध्याह्न भोजन के किये रसोई घर :- 1

(ix) साधारणित पहुँच :-

(x) शिक्षण अधिगम सामग्री खेल-कूद उपकरण,पुस्तकालय :- BOOKS, CHAT, MAPS, GLOBE, PROJECTOR, LAPTOP , BAT-BALL, FOOTBALL, CARROM, LUDO, DART, FLYING DISK , (Y , 999 , NewsPaper MagaZine:- 3)

11. कोई भी अपर्युक्त वर्ग का विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कोशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के सहित गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के साथ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. सेवा का अंशदान एवं उसका प्रमाणिकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलेख में उपर्युक्त सेवा विवरणी केवल की जाएगी। प्रत्येक सेवा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष बिज्ञा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रतीकित कोड संख्या (21411782021926121341, 2021) है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पताचार करने में इस कोड को अंकित एवं उपर्युक्त किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / बिज्ञा शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय 'नॉन किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर प्रतीकित की कक्षा के सगावर रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अपना विद्यालय संवाहन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपातन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाइटी के निर्बंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुसूचक 3 के रूप में संलग्न अन्य कर्तु

20/09/21
बिज्ञा भाषक
हो।
बिज्ञा कार्यक्रम पदाधिकारी, SAHARSA
सह-सचिव प्रवीणता समिति
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार